Current Affair (12 January, 2022)

(1) भारत में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2030 तक भारत में कारों की वार्षिक बिक्री मौजूदा 3.5 मिलियन से बढ़कर लगभग 10.5 मिलियन हो जाने का अनुमान है, जो की तीन गुना अधिक है, जिससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि होगी।

भारत वर्ष 2019 तक वाहन पंजीकरण के उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (10%) के साथ पाँचवां सबसे बड़ा वैश्विक कार निर्माता है।

प्रमुख बिंदु:

भारत में वाहन उत्सर्जन:

शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वाहनों का उत्सर्जन है।

आमतौर पर वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु गुणवत्ता के श्वसन स्तर पर पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 का 20-30% योगदान देता है।

PM2.5 उन कणों को संदर्भित करता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है (मानव बाल की तुलना में 100 गुना अधिक पतला) और लंबे समय तक निलंबित रहता है।

अध्ययनों के अनुसार, वाहन हर वर्ष PM2.5 के लगभग 290 गीगाग्राम (Gg) का उत्सर्जन करते हैं।

साथ ही भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का लगभग 8% परिवहन क्षेत्र से होता है और दिल्ली में यह 30% से अधिक है।

वाहन उत्सर्जन (विश्व):

परिवहन क्षेत्र कुल उत्सर्जन का एक-चौथाई हिस्सा है, जिसमें से सड़क परिवहन तीन-चौथाई उत्सर्जन (कुल वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 15%) के लिये ज़िम्मेदार है।

इसका सबसे बड़ा हिस्सा यात्री वाहन हैं, जो लगभग 45% CO2 उत्सर्जित करते हैं।

यदि यही स्थिति बनी रही तो वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2050 में वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन 90% अधिक होगा।

उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत से संबधित मुद्दे:

भारत में ईंधन की गुणवत्ता में बदलाव , आंतरिक दहन इंजन (internal Combustion Engines- ICE) की निकास उपचार प्रणाली , वाहन खंडों के विद्युतीकरण और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की दिशा में उठाए गए कदमों के साथ वाहन प्रौद्योगिकी तेज़ी से बदल रही है।

लेकिन ICE वाहनों की वर्ष 2040 तक पर्याप्त हिस्सेदारी होने की संभावना है।

इसके लिये न केवल उत्सर्जन मानकों को सख्त करने की आवश्यकता है बल्कि विश्व में उत्सर्जन को कम करने हेतु वाहनों के परीक्षण के लिये तकनीकी मानकों में संशोधन की भी आवश्यकता है।

उत्सर्जन परीक्षण की विधि:

अधिकांश देशों ने विनिर्माण चरण और उपयोग के दौरान वाहनों के परीक्षण हेतु नियम तैयार किये हैं।

वाहन प्रमाणन प्रक्रियाओं के तहत प्रयोगशाला में 'इंजन चेसिस डायनेमोमीटर' पर इंजन प्रदर्शन परीक्षण और उत्सर्जन अनुपालन शामिल होता है।

इसके पश्चात् स्वीकार्य परीक्षण परिणाम प्राप्त करने हेतु 'ड्राइव साइकल' (गति और समय के निरंतर डेटा बिंदुओं की एक शृंखला जो त्वरण , मंदी और निष्क्रियता के संदर्भ में ड्राइविंग पैटर्न का अनुमान लगाती है) का भी प्रयोग किया जाता है।

इसके माध्यम से वाहनों की वास्तविक ड्राइविंग स्थिति जानने में मदद मिलती है , जिससे उनसे होने वाले उत्सर्जन के बारे में भी पता चलता है।

भारत द्वारा तैयार की गई परीक्षण विधियाँ:

'इंडियन ड्राइव साइकल' (IDC) व्यापक सड़क परीक्षणों के आधार पर भारत में वाहन परीक्षण और प्रमाणन हेतु तैयार किया गया पहला 'ड्राइविंग साइकल' था।

'इंडियन ड्राइव साइकल' एक छोटा सा चक्र था, जिसमें 108 सेकंड के छह ड्राइविंग मोड शामिल थे (त्वरण , मंदी और निष्क्रियता के एक पैटर्न को दर्शाते हुए)।

किंतु IDC के तहत उन सभी जटिल ड्राइविंग स्थितियों को शामिल नहीं किया गया था , जो प्रायः आमतौर पर भारतीय सड़कों पर देखी जाती हैं।

इसके बाद IDC में सुधार के रूप में 'मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल ' (MIDC) को अपनाया गया , जिसमें शामिल मानक 'न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकल' (NEDC) के समान हैं।

MIDC के तहत व्यापक ड्राइविंग मोड शामिल हैं और यह IDC की तुलना में काफी बेहतर है।

साथ ही MIDC व्यावहारिक दुनिया में ड्राइविंग के दौरान देखी गई विभिन्न स्थितियों को काफी बेहतर ढंग से कवर करता है।

हालाँकि सुधारों के बावजूद, MIDC अभी भी यातायात घनत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, सड़क बुनियादी अवसंरचना और खराब यातायात प्रबंधन में भिन्नता के कारण ऑन-रोड स्थितियों के दौरान वाहनों के उत्सर्जन का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
इसलिये 'वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज़्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर ' (WLTP) को अपनाना आवश्यक हो गया है , जो कि आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड कारों से प्रदूषकों के स्तर को निर्धारित करने हेतु एक वैश्विक मानक है।

व्यावहारिक दुनिया में उत्सर्जन का मापन:
'वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन' (RDE) परीक्षणों को लेकर यूरोपीय आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का सुझाव है कि 'ड्राइविंग साइकल' व प्रयोगशाला परीक्षण वास्तविक ड्राइविंग स्थितियों के दौरान संभावित उत्सर्जन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं , क्योंकि वास्तविक स्थितिययाँ प्रयोगशाला ड्राइविंग परीक्षण की तुलना में अधिक जटिल होती हैं।
'वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन ' (RDE) 'वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज़्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर ' और समकक्ष प्रयोगशाला परीक्षणों की सीमाओं को समाप्त करने हेतु एक स्वतंत्र परीक्षण है , जिसके तहत माना जाता है कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई कार कई तरह की परिस्थितियों का सामना करती है।
भारत में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वर्तमान में आरडीई प्रक्रियाओं का विकास कर रहा है, जिनके वर्ष 2023 में लागू होने की संभावना है।
आरडीई चक्र को देश में प्रचलित स्थितियों, जैसे कम और अधिक ऊँचाई, साल भर तापमान, अतिरिक्त वाहन पेलोड, ड्राइविंग, शहरी और ग्रामीण सड़कों व राजमार्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये।

भारत में उत्सर्जन कम करने की पहल:
भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव:
भारत चरण (बीएस) उत्सर्जन मानकों को सरकार द्वारा मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क-इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिये निर्धारित किया गया है।
केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया है कि वाहन निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 से केवल BS-VI (BS-6) वाहनों का निर्माण, बिक्री और पंजीकरण करना होगा।

2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोडमैप:
रोडमैप में अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति करने के लिये इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के क्रमिक प्रयोग और अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक E20 के चरणबद्ध प्रयोग का प्रस्ताव है।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (FAME) योजना का तेज़ी से अंगीकरण और निर्माण:
FAME India योजना का उद्देश्य सभी वाहन खंडों को प्रोत्साहित करना है।

योजना के दो चरण:
चरण I: वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 को पूरा हुआ
चरण II: अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:
इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नीति और विनियमन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत के प्रयासों को संरेखित करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कटौती तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना है।

(2) त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?
हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिये त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण (Quarterly Employment Survey- QES) के परिणाम जारी किये गए हैं।
जुलाई-सितंबर 2021 की तिमाही में नौ चुनिंदा क्षेत्रों द्वारा सृजित कुल रोज़गार 3.10 करोड़ था, जो अप्रैल-जून की अवधि की तुलना में 2 लाख अधिक है।

प्रमुख बिंदु

QES के बारे में:
त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' (QES) 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' (All-India Quarterly Establishment-based Employment Survey- AQEES) का हिस्सा है।
इसमें कुल 9 क्षेत्रों के संगठित खंड में 10 या अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
ये 9 क्षेत्र हैं- विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियाँ।

इन क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोज़गार का बहुमत मौजूद है।
उद्देश्य: सरकार को 'रोज़गार पर एक बेहतर राष्ट्रीय नीति' तैयार करने में सक्षम बनाना।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता: इस सर्वेक्षण की शुरुआत 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) के 'रोज़गार नीति सम्मेलन, 1964' के भारत के अनुसमर्थन के तहत की गई है।
इसके तहत अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिये 'पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने जाने रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन की गई एक सक्रिय नीति' को लागू करने की आवश्यकता है।
भारत के पास अभी तक 'राष्ट्रीय रोज़गार नीति' (NEP) मौजूद नहीं है।

नोट:
QES बनाम PLFS: जहाँ एक ओर 'त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण' (QES) श्रम बाज़ार में मांग-पक्ष की तस्वीर पेश करता है , वहीं 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' या 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) श्रम बाज़ार की आपूर्ति पक्ष की तस्वीर प्रदान करता है।
साथ ही PLFS का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है।
अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES):
श्रम ब्यूरो द्वारा जारी इस अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोज़गार सर्वेक्षण (AQEES) को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोज़गार एवं प्रतिष्ठानों के बारे में लगातार (तिमाही) अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

AQEES के दो घटक हैं:
त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण (QES) और
एरिया फ्रेम एस्टाब्लिशमेंट सर्वे (AFES)
QES 10 या अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिये रोज़गार अनुमान प्रदान करेगा।
AFES एक नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है।

(3) <u>भारत-चीन-श्रीलंका ट्रायंगल</u>

चर्चा में क्यों?
हाल ही में चीन के विदेश मंत्री (CFM) ने श्रीलंका का दौरा किया है।
इस बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर द्वीपीय राष्ट्रों के लिये एक मंच का प्रस्ताव रखा और यह भी कहा कि किसी भी 'तृतीय पक्ष' को चीन-श्रीलंका संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
यद्यपि 'तृतीय-पक्ष' के नाम का खुलासा नहीं किया गया, किंतु कई जानकार मानते हैं कि यह भारत के लिये कहा गया था।

<u>प्रमुख बिंदु</u>

श्रीलंका यात्रा की मुख्य विशेषताएँ
चीन के विदेश मंत्री की यात्रा में ऐतिहासिक 'रबर-राइस पैक्ट' (1952) की 70वीं वर्षगांठ और चीन एवं श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह शुरू करने की परिकल्पना की गई थी।
रबर-राइस पैक्ट के तहत चीन ने रबड़ और अन्य आपूर्तियों के आयात हेतु प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी , क्योंकि श्रीलंका, जो कि रबड़ का एक प्रमुख निर्यातक है, चावल की कीमत में वृद्धि और रबड़ की कीमत में गिरावट का सामना कर रहा था।
चीन के विदेश मंत्री द्वारा कोलंबो में कोलंबो पोर्ट सिटी और हंबनटोटा पोर्ट (श्रीलंका में) का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को इनका सही से उपयोग करना चाहिये।
उन्होंने श्रीलंका से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) की संभावनाओं पर विचार करने और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
सर्वसम्मति और तालमेल बनाने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिये "हिंद महासागर द्वीप देशों के विकास पर एक मंच" भी प्रस्तावित किया गया था।

चीन-श्रीलंका संबंधों के बारे में:
श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता: चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है।
श्रीलंका के सार्वजनिक क्षेत्र को चीन द्वारा प्रदत्त ऋण केंद्र सरकार के विदेशी ऋण का लगभग 15% है।
श्रीलंका अपने विदेशी ऋण के बोझ को दूर करने के लिये चीनी ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है।
अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश: चीन ने वर्ष 2006-19 के बीच श्रीलंका की बुनियादी ढांँचा परियोजनाओं में लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
छोटे राष्ट्रों के हितों में बदलाव: श्रीलंका का आर्थिक संकट इसे अपनी नीतियों को बीजिंग के हितों के साथ संरेखित करने के लिये आगे और बाध्य कर सकता है।

हिंद महासागर में चीन का प्रभाव: चीन का दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रभाव है।
चीन को ताइवान के विरोध में , दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय विवादों व अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ असंख्य संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत की चिंताएँ:
सागर पहल का विरोध: प्रस्तावित हिंद महासागर द्वीपीय देशों के मंच ने भारत के प्रधानमंत्री की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) पहल के विरोध में आवाज उठाई।
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की रणनीतिक भूमिका है।
विकास से संबंधित मुद्दे: 99 वर्ष के पट्टे के हिस्से के रूप में चीन का श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर औपचारिक नियंत्रण है।
श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह शहर के चारों ओर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और चीन द्वारा वित्तपोषित एक नया आर्थिक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है।
भारत के ट्रांस-शिपमेंट कार्गो का 60% कार्य कोलंबो बंदरगाह से होता है।
हंबनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को पट्टे पर देने से चीनी नौसेना की लिये हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति लगभग तय हो गई है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चिंताजनक है।
भारत को घेरने की चीनी रणनीति को स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी कहा गया है।
भारत के पड़ोसियों पर प्रभाव: बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये चीन की ओर रुख कर रहे हैं।

आगे की राह
सामरिक हितों का संरक्षण: श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीति को पोषित करना भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
क्षेत्रीय मंचों का लाभ उठाना: बिम्सटेक , सार्क, सागर और आईओआरए जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग प्रौद्योगिकी संचालित कृषि , समुद्री क्षेत्र के विकास, आईटी एवं संचार बुनियादी ढाँचे आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।
चीन के विस्तार को रोकना: भारत को ज़ाफना में कांकेसंतुराई बंदरगाह और त्रिंकोमाली में तेल टैंक फार्म परियोजना पर काम करना जारी रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीन श्रीलंका में आगे कोई पैठ नहीं बना सके।
दोनों देश आर्थिक लचीलापन पैदा करने के लिये निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने में भी सहयोग कर सकते हैं।
भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अपनी आईटी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करके श्रीलंका में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है।
ये संगठन हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा कर सकते हैं तथा द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं।

(4) <u>संवेदनशील गवाहों की रक्षा करना: SC</u>
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने संवेदनशील गवाहों के अर्थ का विस्तार करते हुए इसमें अन्य यौन उत्पीड़न पीड़ितों , मानसिक रूप से बीमार, बोलने या सुनने में अक्षम लोगों को भी शामिल किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 और फिर 2004 व 2017 के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें उसने इसी तरह के निर्देश पारित किये थे। जब उसने देश के सभी उच्च न्यायालयों को संवेदनशील गवाहों हेतु 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गए दिशा निर्देशों को अपनाने के लिये कहा था।

प्रमुख बिंदु:
संवेदनशील गवाह: संवेदनशील गवाहों का मतलब केवल बाल गवाहों तक सीमित नहीं होगा। इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
यौन हमले के शिकार।
आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत यौन उत्पीड़न के शिकार ।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में परिभाषित मानसिक बीमारी से पीड़ित गवाह।
खतरो के शिकार गवाह और कोई भी भाषण या श्रवण बाधित व्यक्ति या किसी अन्य विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति।
संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालय (HC) दो महीने की अवधि के भीतर एक संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC) योजना को अपनाएँ और अधिसूचित करें।

संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (Vulnerable Witness Deposition Centre- VWDC)
VWDC संवेदनशील गवाहों के साक्ष्य दर्ज़ करने के लिये एक सुरक्षित और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक ज़िले में एक VWDC हो।
इन VWDC को वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) केंद्रों के निकट स्थापित किया जाना चाहिये।
हितधारकों को संवेदनशील बनाना: सर्वोच्च न्यायालय ने VWDC के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और बार , बेंच व कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के महत्त्व की ओर भी इशारा किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल से अखिल भारतीय VWDC प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिज़ाइन करने और लागू करने के लिये समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने समिति के अध्यक्ष को प्रशिक्षण की योजनाओं हेतु एक प्रभावी इंटरफेस प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ जुड़ने का भी निर्देश दिया।
साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवश्यक लॉजिस्टिक्स सहायता के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया है।

भारत में गवाह संरक्षण:
वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'गवाह संरक्षण योजना- 2018' को मंज़ूरी दी थी , जिसका उद्देश्य एक गवाह को निडर और सच्चाई से गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है।
यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत एक कानून के तौर पर लागू होगी।
न्यायपीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संवेदनशील गवाह केंद्र स्थापित करने को भी कहा है।
यद्यपि यह योजना अभी तक संसद में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है और स्पष्ट कहा कि यह योजना देश में कानून के तौर पर लागू होगी।
वर्षों से विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों और न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997), 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट और मलीमथ समिति की रिपोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश की है।

आगे की राह
गवाह 'न्याय की आँख और कान' होते हैं और ऐसे में यह योजना राष्ट्र की प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की दिशा में एक सही कदम साबित होगी।
हालाँकि अब तक ऐसे कई तदर्थ कदम उठाए गए हैं , जिसमें संवेदनशील गवाहों हेतु कुछ समर्पित अदालत कक्ष और गवाहों की पहचान छुपाना (आतंकवाद विरोधी आदि जैसे मामलों में) आदि शामिल हैं, किंतु ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहे हैं।
इसलिये गवाहों से छेड़छाड़ के खिलाफ निषेध पर ज़ोर देने के विधायी उपाय मौजूदा समय की अपरिहार्य आवश्यकता बन गए हैं।

(5) <u>भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार वार्ता</u>
चर्चा में क्यों?
हाल ही में दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग , उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के साथ वार्ता की।

<u>प्रमुख बिंदु</u>
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का उन्नयन:
दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के उन्नयन संबंधी वार्ता पर चर्चा को नई गति प्रदान करने और दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं के बीच व्यापार एवं निवेश पर व्यापक 'B2B' (व्यवसाय से व्यवसाय) वार्ता को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य:
भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 से पहले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था , जिस पर वर्ष 2018 में आयोजित शिखर बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी।
यह नियमित वार्ता दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय की कठिनाइयों और आपूर्ति शृंखला लचीलापन सहित उभरते व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
दोनों पक्षों पारस्परिक लाभ हेतु निष्पक्ष और संतुलित तरीके से विकास करने के लिये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
कोरिया में कड़े नियामक मुद्दों के कारण भारतीय कंपनियों को कोरिया में स्टील , इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में अपने उत्पादों का निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
व्यापार घाटा वर्ष 2008-09 के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी <u>समझौता</u>:

परिचय:

यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। यह व्यापार सुविधा एवं सीमा शुल्क सहयोग , प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।

साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।

CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।

अन्य देशों के साथ भारत के CEPA:

भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।

वर्ष 2021 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने औपचारिक रूप से भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू की थी।

भारत बांग्लादेश के साथ भी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है।

<u>भारत-दक्षिण कोरिया संबंध</u>:

राजनीतिक:

कोरिया युद्ध (वर्ष 1950-53) के दौरान युद्धरत दोनों पक्षों (उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया) के मध्य भारत ने युद्धविराम समझौता कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारत द्वारा प्रायोजित इस संकल्प को स्वीकार कर लिया गया और 27 जुलाई, 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई।

मई 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष सामरिक भागीदारी' हेतु उन्नत किया गया।

भारत ने दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में एक अहम भूमिका निभाई है , जिसके तहत कोरिया अपने प्रभावी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों का विस्तार करना चाहता है।

दक्षिण कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) का एक प्रमुख सहयोगी है जिसके अंतर्गत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग , सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।

आर्थिक:

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार व आर्थिक संबंधों ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है , जिसके तहत वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2018 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है और यह पहली बार है जब दोनों देशों के व्यापार ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार किया है।

जनवरी-दिसंबर 2020 में द्विपक्षीय व्यापार 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था।

वर्ष 2010 के बाद से स्थापित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईपीए) से व्यापार और निवेश दोनों में वृद्धि हुई है।

कोरिया से निवेश सुविधा के लिये भारत ने 'इन्वेस्ट इंडिया' के अंतर्गत एक 'कोरिया प्लस' पहल को शुरू किया है जो निवेशकों का मार्गदर्शन , सहायता करने और संवर्द्धित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

सितंबर 2020 तक भारत में दक्षिण कोरिया का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 6.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह भारत के प्रमुख निवेशकों में से एक है।

रक्षा:

वर्ष 2005 में दोनों पक्षों ने वर्ष 2006 में दोनों तट रक्षकों के बीच सहयोग पर रक्षा और रसद तथा एक अन्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) में सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

अब तक भारतीय और दक्षिण कोरियाई तटरक्षकों ने अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से पाँच अभ्यास किये हैं।

इन अभ्यासों में से सबसे हाल ही में चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया अभ्यास था , जिसका नाम सहयोग-ह्येब्ल्येओग (Sahyog-Hyeoblyeog) 2018 है।

सहयोग-ह्येब्ल्येओग हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिये दो तट रक्षकों के बीच एक समझौता ज्ञापन की प्रस्तावित स्थापना का हिस्सा है।

मई 2021 में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने दिल्ली छावनी में एक समारोह में भारत-कोरिया फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया।

वर्ष 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिये पार्क का निर्माण किया गया था।

सांस्कृतिक:

कोरियाई बौद्ध भिक्षु हाइको या होंग जिआओ ने 723 से 729 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने 'भारत के पाँच साम्राज्यों की तीर्थयात्रा' नामक यात्रा वृतांत लिखा। यह यात्रा वृतांत भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का ज्वलंत वर्णन करता है।
नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और इसके उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता 'लैंप ऑफ द ईस्ट' की रचना की थी।
भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) का गठन किया गया।

दोनों देशों द्वारा साझा किये गए बहुपक्षीय मंच:

संयुक्त राष्ट्र
विश्व व्यापार संगठन
आसियान प्लस
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
जी-20

आगे की राह

भारत-कोरिया गणराज्य (Republic of Korea) संबंधों ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। वर्तमान में ये संबंध बहुआयामी हो गए हैं, जो हितों के पर्याप्त अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान से प्रोत्साहित हुए हैं।
हालाँकि इससे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों के विस्तार के साथ-साथ एशिया में एक अद्वितीय संबंध बनाने की काफी संभावनाएँ व्यक्त की गई हैं। इसके लिये एक ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो विविध क्षेत्रों (जैसे- सांस्कृतिक संबंधों , लोगों के मध्य संपर्क बनाने, लोकतंत्र और उदार मूल्यों का उपयोग करने तथा सभ्यतागत संबंधों) को मजबूत करने की कल्पना करता हो।